न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या ~~236~~ 342/16 निर्णय दिनांकः—23—12—2019
(आरसीएमएस संख्या 2016/00190)

1. लक्ष्मणदास पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर।
—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।
—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 28 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/12 की 24 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा पिछले दो वर्षो से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेशके विरूद्व अपील दिनांक 09–10–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 09–10–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 23 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/12 की 24 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के विरूद्व 58934/– रूपये किश्त पेटे बकाया है तथा वह स्वयं मौके पर आबाद होकर काश्त नहीं कर रहा है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बकाया राशि 58934/– जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 3680 दिनांक 28–05–1997 जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का रकबा किश्तों के अभाव में निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना में बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक शून्य यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: